

19-09-2024

पुकारा गया। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं।

पत्रावली का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट है कि, प्रार्थी विगत तिथि पर भी उपस्थित नहीं आया, और न ही उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है।

ऐसी स्थिति में, प्रार्थी की अनुपस्थिति में, दण्ड प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अनिरुद्ध भट्ट)

तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
हरिद्वार।